बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
सत्यमेव जयते

पत्रांक–46 दिनांक 31/10/2007

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री के सचिव,
बिहार, पटना।

विषयः– श्री सिराजुद्दीन अंसारी, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा के विरूद्ध बिहार थाना (नालंदा) में काण्ड संख्या–50/2004 गलत रूप से दायर करने एवं उसके आधार पर वाद चलाने की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री सिराजुद्दीन अंसारी, सम्प्रति उप सचिव, श्रम संसाध्न विभाग के आवेदन संलग्न करते हुये संघ का यह कहना है कि श्री आनन्द किशोर तत्कालीन एवं वर्तमान जिलाधिकारी, नालन्दा के द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपराधिक कुमदमा दर्ज करने का जो कृत्य श्री अंसारी के विरूद्ध किया गया है वह नियम के विरूद्ध है एवं इनके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को भी दर्शाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा–197 में सरकारी कर्मियों को यह सुविधा दी गई है कि सरकारी कार्यों के निबटारा के दौरान उनके विरूद्ध कोई अपराधिक मामला दायर किया जाता है तो उस पर गंभीरता से विचार करने के उपरान्त ही अभियोजन की स्वीकृति दी जाय। यह एक वैद्यिक प्रक्रिया है। इस मामले में अभियोजन स्वीकृति देने से पूर्व वैद्यिक बिन्दुओं एवं तथ्यों पर विचार नहीं किया गया। यह अभियोजन स्वीकृति बैड–इन–लॉ है।

अतः अनुरोध है कि अभियोजन स्वीकृति के बिन्दु पर पूनर्विचार करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

ज्ञापांक–46/वि0प्र0से0संघ, पटना, दिनांक–31/10/2007.

प्रतिलिपि श्री सिराजुद्दीन अंसारी, वि0प्र0से0, उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

31/10/07

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव